अष्टादश बिहार विधान सभा

द्वितीय सत्र

ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचना बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक-**03.02.2026** के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है ।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
1.	**श्री मंजीत कुमार सिंह, स०वि०स०** **श्री जनक सिंह, स०वि०स०** **श्री वीरेन्द्र सिंह, स०वि०स०** **श्री अरूण माँझी, स०वि०स०** **श्री सिद्धार्थ पटेल, स०वि०स० एवं** **श्री विनय कुमार सिंह, स०वि०स०**	''प्रत्येक जिला में मेडिकल कॉलेज की स्थापना नीति के अनुरूप दिनांक-05.09.2023 को कैबिनेट की बैठक में गोपालगंज में मेडिकल कॉलेज खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी और इसके निर्माण के लिए 2 अरब 99 करोड़ रूपये की राशि भी स्वीकृत की गई थी । साथ ही गोपालगंज मेडिकल कॉलेज को वर्ष 2025-26 सत्र से शुरू होने वाले मेडिकल कॉलेजों में शामिल किया गया था । पिछले वर्ष समाहर्त्ता, गोपालगंज के पत्रांक-X2-VII-23/2023-1840/रा., दिनांक 25.05.2025 द्वारा अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग, पटना को माँझा प्रखंड के धनखर/उमर मठिया में उपलब्ध 24 एकड़ 37 डी. सरकारी भूमि पर मेडिकल कॉलेज के निर्माण हेतु प्रस्ताव अनुशंसा के साथ भेजी थी । बावजूद इसके अभी तक निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है । अतएव गोपालगंज जिलावासियों को बेहतर चिकित्सीय सुविधा प्रदान करने के लिए गोपालगंज मेडिकल कॉलेज का निर्माण यथाशीघ्र शुरू करने हेतु सदन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकृष्ट कराते हैं ।''	स्वास्थ्य विभाग

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
2.	श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह, स०वि०स० श्री केदार प्रसाद गुप्ता, स०वि०स० श्री महेश पासवान, स०वि०स० श्री रणधीर कुमार सोनी, स०वि०स० श्री रजनीश कुमार, स०वि०स० श्री श्याम बाबू प्रसाद यादव, स०वि०स० एवं श्री अवधेश सिंह, स०वि०स०	''बिहार राज्य में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ वर्तमान में करोड़ों किसान ले रहे हैं । इस योजना के कार्यान्वयन हेतु आवेदक का पात्रता निर्धारण के लिए उसका नाम सरकारी रजिस्टर में जमीन विवरणी सहित दर्ज होना चाहिए था, लेकिन इस संबंध में कोई अपेक्षित निर्णय नहीं लिया गया और मनमाने ढंग से आवेदक का चयन कर योजना का लाभ दिया जा रहा है । वर्तमान में इस योजना अन्तर्गत लाभुकों की संख्या में फार्मर आ.ई.डी जेनरेट नहीं होने के कारण लाभार्थी की संख्या में भारी कमी होने जा रही है । अत: अत्यंत लोकहित में वर्तमान में किसान निधि सम्मान योजना पा रहे सभी किसानों को भविष्य में इस लाभ को अनवरत प्रदान किए जाने हेतु उनका नाम सरकारी रजिस्टर में दर्ज करने के लिए सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हैं ।''	कृषि विभाग

ख्याति सिंह
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप सं०-ध्या०प्र०-01/2026- 35 /वि०स०, पटना, दिनांक- 2 फरवरी, 2026 ई०।

प्रति:- माननीय सदस्यगण, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

रविन्द्र पंडित 02.2.26
(रविन्द्र पंडित)
अवर सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप सं०-ध्या०प्र०-01/2026- 35 /वि०स०, पटना, दिनांक- 2 फरवरी, 2026 ई०।

प्रति:- माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव / माननीय उप मुख्यमंत्रिगण के आप्त सचिव एवं माननीय मंत्रिगण के आप्त सचिव को क्रमश: माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्रिगण एवं मंत्रिगण के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

रविन्द्र पंडित 02.2.26
(रविन्द्र पंडित)
अवर सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप सं०-ध्या०प्र०-01/2026- 35 /वि०स०, पटना, दिनांक- 2 फरवरी, 2026 ई०।

प्रति:- मुख्य सचिव, बिहार / राज्यपाल के प्रधान सचिव, बिहार / सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना उच्च न्यायालय / संसदीय कार्य विभाग / स्वास्थ्य विभाग एवं कृषि विभाग के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

रविन्द्र पंडित 02.2.26
(रविन्द्र पंडित)
अवर सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप सं०-ध्या०प्र०-01/2026- 35 /वि०स०, पटना, दिनांक- 2 फरवरी, 2026 ई०।

प्रति:- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव / माननीय उपाध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव / प्रभारी सचिव के प्रधान आप्त सचिव को क्रमश: माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित ।

रविन्द्र पंडित 02.2.26
(रविन्द्र पंडित)
अवर सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।